International Journal of Applied Research 2017; 3(11): 469-470

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(11): 469-470
www.allresearchjournal.com
Received: 15-09-2017
Accepted: 17-10-2017

Dr. Vishal Kr Sharma
Head, Department of History,
Hindu College, Sonipat,
Haryana, India

Correspondence
Dr. Vishal Kr Sharma
Head, Department of History,
Hindu College, Sonipat,
Haryana, India

मनुस्मृति में शूद्रों की दशा

Dr. Vishal Kr Sharma

प्रस्तावना

इतिहास मानव सभ्यता के उत्थान–पतन को सहज व तथ्यपरक लेखा–जोखा होता है। विभिन्न सभ्यताओं के उत्थान–पतन के विषय में ऐतिहासिक स्त्रोतों के माध्यम से सही–सही जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। अतः इतिहास मानव जीवन से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं की विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करता है। जहां तक प्राचीन भारत के सामाजिक, इतिहास और संस्कृति का प्रश्न है, इसका आधार सामाजिक संस्थाएं हैं। एक ही देश में रहने वाले विभिन्न सामाजिक वर्गों, समुदायों के सामाजिक पहलु एक ही प्रकार के नहीं होते, वे भी अनेकोनेक प्रकार के होते हैं। इस दृष्टि से प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास भी विभिन्नताओं से परिपूर्ण है।

भारतीय समाज और संस्कृति के सच्चे स्वरूप को समझने में जो ग्रन्थ अत्यधिक सहायक है उनमें धर्मशास्त्र–ग्रन्थों का प्रमुख स्थान है। भारतीय–जीवन को धर्मशास्त्र साहित्य ने गहरा प्रभावित किया है। परंपरागत भारतीय मान्यताओं के अनुसार मनु प्रथम समाज व्यवस्थापक और आदि पुरूष हैं। मनु द्वारा प्रतिपादित नियमों का अभिलेख मनुस्मृति में सुरक्षित है। प्रायः मनुयक्ति स्मृति को मनुस्मृति, मनुसंहिता आदि कई नामों से जाना जाता है।

प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों की स्थिति का आधुनिक अध्ययन ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रयासों से प्रारम्भ हुआ। जेम्स मिल ने 'दि हिस्ट्री ऑफ इंडिया' (1818) में शूद्रों की चर्चा कराते हुए लिखा है कि हिन्दुओं में जातिजन्य पराधीनता की विभिषिका किसी भी अन्य समाज की अपेक्षा अधिक विनाशात्मक थी और यह स्थिति आज भी बनी हुई है। ई. डब्ल्यू. हापकिंस ने 'म्यूचुअल रिलेशन ऑफ दि फोर कास्ट्स इन मनु' (1888) में व्यक्त किया है।

बी. आर. अम्बेडकर की रचना 'हू वेयर दि शूद्राज?' (1946) शूद्रों के उदभव तक ही सीमित है। यू. एन. घोषल ने 'इंडियन कल्चर' (1947) में धर्मसूत्रों में शूद्रों के स्थान की विवेचना की है। चित्रा तिवारी ने 'शूद्राज इन मनु' (1963) में केवल मनुस्मृति के आधार पर शूद्रों का वर्णन किया है। रामशरण शर्मा की पुस्तक 'शूद्रों का प्राचीन इतिहास' (1992) केवल पांच सौ ई. तक ही शूद्रों की जानकारी प्रस्तुत करती है। जबकि प्राचीन भारत में पांच सौ ई. के बाद शूद्रों की परम्परागत स्थिति में अनेक बदलाव आए।

प्राचीन परंपरागत समाज में वर्णाश्रमव्यवस्था के अन्तर्गत चार वर्ण थे एवं परम्परागत व्यवस्थापकों ने इन चार वर्णों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न व्यवसायिक सामाजिक वर्गों के अलग–अलग कर्त्तव्य निर्धारित किये ताकि आपसी मेल–मिलाप, समनव्यता ओर उसका विकास सौहार्दपूर्ण हो सके। इस सन्दर्भ में वर्णाश्रम व्यवस्था का एक पूरक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य चारों वर्णों की ऐतिहासिक परलौकिक उन्नति सुनिश्चित करना था। ब्रह्मणीक विचारकों ने मानव जीवन को चार चरणों में विभक्त कर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानपृस्थ और सन्यासाश्रमों की व्यवस्था निर्धारित की थी। मनुष्य के जीवन को कर्म के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए इन चार आश्रमों की व्यवस्था की गयी थी। सन्यास की अनुमति प्रायः ब्राह्मणों को ही दी गई थी। शूद्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता था एवं अन्य आश्रमों का उसके लिए निषेध किया गया था। आन्तरिक और बाह्य शुद्धता नैतिकता और आध्यात्मिकता तथा जीवन की परिशुद्धता और पवित्रता इन्हीं के माध्यम से मानी गई। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने इहलोक और परलौकिक जीवन दर्शन को ध्यान में रखते हुए भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच समन्वय और संतुलन बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक परम्पराओं, निषेधों और धार्मिक अनुष्ठानों के अनुपालन द्वारा भरसक प्रयास किये हैं।

मनुस्मृति सामाजिक नियमों का कानूनी शास्त्र है, जिसमें चारों वर्णों के लिए एक समान नियमों का विधान है। मनुस्मृति प्राचीन सामाजिक व्यवस्था या ढ़ांचे का भी आधारभूत कहा जा सकता है। मनुस्मृति मौर्योत्तर काल का विधि–विधानात्मक धर्मशास्त्र है और इसके साथ–साथ विभिन्न विधियों के अतिरिक्त तत्कालीन समाज के विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साधन है।

मनुस्मृति में वर्णित शूद्रों की दशा का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए मनुस्मृति को ही मूल स्त्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है। लेकिन तथ्यों की विश्वसनियता एवं स्पष्टीकरण के लिए अन्य ग्रन्थों, स्त्रोतों की भी यथा सन्दर्भ सहायता ली गई है।

मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का अध्ययन किया गया है तथा ऋग्वैदिक काल से लेकर मौर्योत्तर काल तक शूद्रों की स्थिति में आए ऐतिहासिक परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है।

मनुस्मृति में शूद्रों की सामाजिक तथा धार्मिक दशा का विश्लेष्णात्मक विवरण दिया गया है। इसमें विभिन्न वयवसायिक जातियों, जनजातियों का शूद्र वर्ण में समावेश का अध्ययन भी किया गया है। इसमें स्पृश्य शूद्रों एवं अस्पृश्य शूद्रों का वर्गीकरण भी किया गया है। इसमें शूद्रों के सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का भी विवरण विस्तार से दिया गया है। इनके अतिरिक्त मनु द्वारा शूद्रों पर लगाए अनेक प्रकार के सामाजिक तथा धार्मिक प्रतिबन्धों का वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है। इस स्मृति में शूद्रों के धार्मिक परिवेश के अन्तर्गत उनके देवी–देवताओं का भी वर्णन किया गया है।

मनुस्मृति में शूद्रों की आर्थिक दशा का अध्ययन किया गया है। इसमें शूद्रों के भिन्न–भिन्न व्यवसायों का वर्णन किया गया है। इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार शूद्र कर्मनाम अपनी जाति के अनुरूप कार्य कर अपनी जीविकोपार्जन करते थे। शूद्रों के व्यापार संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के बारे में भी बताया गया है।

मनुस्मृति में निष्कर्ष के रूप में सभी प्रस्तुत विवरण के अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत मनुस्मृति की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है।

संदर्भ

1. मोटवानी, केवलः मनु धर्मशास्त्र, दिल्ली, 1987
2. थापर, रोमिल्लाः भारत का इतिहास, दिल्ली, 1975
3. तिवारी, चित्राः शूद्राज इन मनु, दिल्ली, 1963
4. काणे, पी. वी.ः धर्मशास्त्र का इतिहास, हिन्दी अनुवाद, अर्जुन चौबे कश्यप, भाग 1,2, हिन्दी समिति सूचना विभाग, लखनउ, 1973
5. शर्मा, आर. एस.ः शूद्रों का प्राचीन इतिहास, हिन्दी अनुवाद, दिल्ली, 1999
6. मिश्र, जयशंकरः प्राचीन भारत का समाजिक इतिहास, चतुर्थ संस्करण, 1988